सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय : सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री भवानीसिंह (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 210/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी नवलाराम, कौम–जाट, निवासी–बाटाडू तहसील–बायतु 2. श्रीमती पारूदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी लाधाराम कौम–जाट, निवासी–शहर, तहसील–गिड़ा 3. श्रीमती मानीदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी राणाराम कौम–जाट, निवासी–पूनियो का तला तहसील–गिड़ा 4. श्रीमती लच्छुदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी पुरखाराम कौम–जाट, निवासी–खारापार, तहसील–गिड़ा 5. अचली पुत्री रूपाराम 6. शिवलाल पुत्र रूपाराम 7. श्रीमती केसीदेवी पत्नी रूपाराम कौम–जाट निवासी–बागड़वो की ढाणी, तहसील–बायतु (वादी संख्या 5 व 6 नाबालिग की कुदरती वलिया माता वादिनी संख्या 7 श्रीमती केसीदेवी पत्नी रूपाराम)		1. रूपाराम पुत्र उदाराम 2. श्रीमती धापूदेवी पत्नी उदाराम कौम–जाट, निवासी–बागड़वो की ढाणी, तहसील–बायतु 3. श्रीमती मिरगोदेवी पुत्री उदाराम पत्नी धन्नाराम, कौम–जाट, निवसी–सुंतला, तहसील–गिड़ा 4. पवनकुमार पुत्र कानमल कौम जैन, निवासी–बायतु चिमनजी तहसील–बायतु 5. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग वकील वादीगण
2. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील प्रतिवादी संख्या 4

निर्णय

दिनांक :– 23.08.2024

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि ग्राम–उण्डू, तहसील–शिव की खसरा संख्या 996/524 व 1004/526 कुल रकबा 37.10 बीघा (6.0703 हैक्टेयर) भूमि वादी संख्या 1 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की विरासत में प्राप्त हक हिस्से की थी। जिसमें से प्रतिवादिनी संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हकों को तर्क करने के बाद वादग्रस्त भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा प्रत्येक वादी संख्या 1 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का रहा। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। स्व0 उदाराम के फौत होने पर और प्रतिवादिनी संख्या 2 व 3 द्वारा हकतर्क करने के बाद राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम की प्रविष्टि दर्ज हो गई और इस दर्ज प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपना वास्तविक हिस्सा 1/7 होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने समग्र वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 4 को कर दिया। यद्यपि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने हकों का तर्क करने के दौरान हकप्राप्तकर्ता के रूप में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज किया। जबकि कानूनन कोई भी हितबद्ध व्यक्ति किसी एक हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में अपना हिस्सा तर्क नहीं कर सकता उसके द्वारा अपने हकों का किया गया परित्याग समस्त हितबद्ध व्यक्तियो के बहिस्सा बराबर करना माना जावेगा। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में 1/7 हिस्से से अधिक भूमि का किया गया बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी है चूकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 5 व 6 का कुदरती वली होने के बावजूद उनके हकों पर कुठाराघात करते हुए समग्र वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया। ऐसी स्थिति में उसके हाथो में नाबालिगो के अधिकार सुरक्षित नहीं होने से माता को उनका वली बनाया गया है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 4 के साथ वादग्रस्त भूमि में स्वयं को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने 1/7 हिस्से से अधिक भूमि के किये गये बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध अपने 6/7 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने एवं अन्यत्र बेचान नहीं करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में रूपाराम का 1/3 हिस्सा होने से प्रत्येक वादी वादग्रस्त भूमि में मात्र 1/24–1/24 हिस्से का दावा करने का अधिकारी था। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने 2/3 हिस्से का केवल प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किये जाने से उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। क्योंकि वादीगण के पक्ष में न तो कोई हकतर्कनामा निष्पादित हुआ और न उनका वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही रहा। चूकि वादग्रस्त भूमि का जरिए रजिस्ट्री बेचान हो चुका है और उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में केता के नाम से अमलदरामद भी हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पूरी प्रतिफल राशि अदा कर भूमि कय की गई है। अतः बगैर बेचाननामा सक्षम न्यायालय से निष्प्रभावी घोषित करवाये वादीगण खातेदारी घोषणा का दावा नहीं ला सकते है। अतः वादीगण का वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 4 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादीगण मौजा–उण्डू, तहसील–शिव की खसरा नम्बर 996/524, 1004/526 कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि में प्रत्येक वादी संख्या 1 से 6 का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। (जिम्मे वादीगण)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्सा होने के बावजूद उनके द्वारा अपने वास्तविक हिस्से से अधिक किये गये बेचान को वादी शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। (जिम्मे वादीगण)
3. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि में निहित अपने 6/7 हिस्से में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने तथा 1/7 हिस्सा की भूमि का बिना विभाजन करवाये अन्यत्र बेचान नहीं करने के आशय की प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। (जिम्मे वादीगण)
4. आया नाबालिग लड़के और अविवाहित लड़की का कुदरती संरक्षक माता नहीं होकर पिता होने से प्रस्तुत वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 4)

वादीगण ने अपने वाद कथन के समर्थन में श्रीमती मानीदेवी पी.डब्लू. 1, चेतनराम पी.डब्लू. 2 एवं वीरमाराम पी.डब्लू. 3 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की इ.एक्स.पी. 1 व नक्शा ट्रेस इ. एक्स.पी. 2, रूपाराम द्वारा किये गये बेचान के आधार पर पारित नामान्तरकरण संख्या 2603 इ.एक्स.पी. 3, ग्राम पंचायत उण्डू को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपति प्रार्थना पत्र इ.एक्स.पी. 4, प्रतिवादिनी संख्या 2 व 3 द्वारा जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार शिव द्वारा की गई तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट की इ.एक्स.पी. 5, रूपाराम का परिवार राशनकार्ड दिनांक 15.07.2010 की इ.एक्स.पी. 6, वादी संख्या 6 का आधार कार्ड इ.एक्स.पी. 7, केसीदेवी का आधार कार्ड इ.एक्स.पी. 8, पारूदेवी का मतदाता पहचान पत्र इ.एक्स.पी. 9, केसीदेवी का भामाशाह कार्ड इ.एक्स.पी 10, रूपाराम का परिवार राशन कार्ड दिनांक 21.09.2014 की इ.एक्स.पी. 11 प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अपने जवाब के समर्थन में पवनकुमार डी.डब्लू 1 व मुलाराम डी.डब्लू 2 को परीक्षित करवाया गयां। दोनो पक्षो ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की। वादी वकील ने अपनी दलीलो के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (1) पृष्ठ 509 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण की बहस है कि वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 से 6 के पितामह एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता व प्रतिवादिनी संख्या 2 के पति स्व0 उदाराम की खातेदारी की थी। जिनके फौत होने पर जरिए नामान्तरकरण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज हुई। जबकि भूमि पुश्तैनी होने से वादी संख्या 1 से 6 का उक्त भूमि में जन्मतः हक रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने हकों का तर्क करने के बाद उक्त भूमि में 1/7–1/7 प्रत्येक वादी संख्या 1 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 का हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 ने हकतर्क के आधार पर हुए नामान्तरकरण के जरिए उक्त समग्र भूमि

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

की प्रविष्टि अपने अकेले के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर समग्र वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान कर दिया। जबकि मौके पर वादी संख्या 1 से 6 में से प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादी संख्या 1 से 6 उक्त भूमि में अपना इसी अनुसार हिस्सा घोषित करवाने, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने वास्तविक 1/7 हिस्से से अधिक की भूमि के किये गये बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने एवं अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जवाब में दिये गये तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण हकतर्कनामा से पूर्व वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से के हिसाब से 1/24–1/24 हिस्से की दावेदारी कर सकते है। क्योंकि हकतर्कनामा से प्राप्त 2/3 हिस्से की भूमि पुश्तैनी नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 की स्व अर्जित भूमि है। इसके अतिरिक्त विधिवत रूप से निष्पादित रजिस्टर्ड बेचान को सक्षम न्यायालय से निष्प्रभावी घोषित करवाये बिना वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया।

तनकी संख्या 1– यह तनकी वादीगण द्वारा मौजा–उण्डू, तहसील–शिव की खसरा संख्या 996/524 व 1004/526 कुल रकबा 37.10 बीघा (6.0703 हैक्टेयर) भूमि में प्रत्येक वादी को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। ग्राम उण्डू की खसरा संख्या 996/524 व 1004/526 की संवत् 2068 से 2071 की जमाबंदी इ.एक्स.पी. 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के पितामह स्व0 उदाराम के स्थान पर विरासत में प्रतिवादी रूपाराम एवं स्व0 उदाराम की पत्नी श्रीमती धापूदेवी व स्व0 उदाराम की पुत्री मिरगोदेवी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी, जो बाद में मिरगोदेवी व धापूदेवी ने अपना दर्ज समग्र हिस्सा रूपाराम के नाम से हकतर्क कर दिया था। यह तथ्य सर्वमान्य रूप से तय है कि वादीनी संख्या 1 से 5 रूपाराम की जायन्दा पुत्रियां एवं वादी संख्या 6 उसका पुत्र है इस तथ्य से वकील प्रतिवादी संख्या 4 भी सहमत है। वादीगण जाति से जाट होने से हिन्दू विधि से शासित होते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी मृत निर्वसीयती के फौत होने पर उसके वारिसाना हको का निर्धारण उसी विधि के अध्यधीन होगा, जिस विधि से वक्त मृत्यु वह शासित था। चुकि स्व0 उदाराम वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित था। अतः उसके वारिसान हक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उसके समस्त वारिसान में निहित होगें। प्रस्तुत प्रकरण में मुतवफी

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

उदाराम के वक्त मृत्यु पुत्र रूपाराम, पुत्री मिरगोदेवी, पत्नी श्रीमती धापूदेवी, पौत्रियां वादिनी संख्या 1 से 5 व पौत्र वादी संख्या 6 वारिस थे, जिनमें से मिरगोदेवी व श्रीमती धापूदेवी ने अपने समग्र हक प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिये थे। आर.आर.टी. 2014 (1) पृष्ठ 510 के अनुसार कोई भी सह खातेदार अपना हिस्सा किसी एक हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में नहीं छोड़ सकता और वह हकतर्क प्रत्येक हितबद्ध के पक्ष में होना माना गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में, पुश्तैनी होने से, वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मतः बहिस्सा बराबर हक था। मात्र राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 समग्र वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में अपने वास्तविक हिस्से 1/7 से अधिक किया गया बेचान विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसे हस्तान्तरण दस्तावेज को कभी भी चुनोती दी जा सकती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रूपाराम वादग्रस्त भूमि में से अपने वास्तविक हिस्से 1/7 तक ही बेचान करने का अधिकारी था। अतः वादी संख्या 1 से 6 प्रतिवादी संख्या 4 के साथ स्वयं को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। लिहाजा तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2–यह तनकी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में 1/7 हिस्से से अधिक किये गये बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की वादीगण की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा भी वादीगण पर ही है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 4 की बगैर सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड बेचान निष्प्रभावी करवाये प्रस्तुत वाद नहीं चलने योग्य होने की दलील का प्रश्न है, किसी भी बेचान दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के पास है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित उसके वास्तविक हिस्से से अधिक बेचान को वादीगण ने शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही है। किसी भी निष्पादित दस्तावेज को, जो बेचानकर्ता के वास्तविक हिस्से से अधिक हो, को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार सक्षम राजस्व न्यायालय का ही है। जैसा कि तनकी संख्या 1 के विवेचन में स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी सम्पति की है और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1 से 6 का मुतवफी उदाराम की पौत्रिया व पौत्र होने से उक्त भूमि में उनका जन्मतः हक है। प्रतिवादी संख्या 4 के हक में किया गया बेचान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज प्रविष्टि पर आधारित था किन्तु उदाराम के वंश वृक्ष के अनुसार रूपाराम मात्र 1/7 हिस्सा विक्रय करने का विधिक अधिकारी था। अतः रूपाराम द्वारा उसके वास्तविक हिस्से 1/7 से अधिक प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किये गये बेचान को वादीगण शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। लिहाजा यह तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

तनकी संख्या 3–यह तनकी वादीगण द्वारा अपने 6/7 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्ध है। चूकि तनकी संख्या 1 के विवेचन में वादीगण स्वयं को वादग्रस्त भूमि के 6/7 हिस्से के खातेदार घोषित करवाने की पात्रता साबित कर चुके हैं। अतः उक्त हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी संख्या 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4–प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत इस तकनीकी बिन्दू पर आधारित है कि नाबालिग पुत्र, पुत्रियां की कुदरती संरक्षक माता नहीं होकर पिता होता है और इस आधार पर वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादी संख्या 4 का यह कथन सही है कि नाबालिग पुत्र, पुत्रियां का कुदरती वली पिता होता है किन्तु जंहा पिता अपने नाबालिग पुत्र पुत्रियां के वास्तविक हक हिस्से की भूमि किसी अन्य को राजस्व रेकर्ड में अंकित प्रविष्टि के आधार पर हस्तान्तरित करता हो, वहां उसके हाथो में नाबालिगो के अधिकार सुरक्षित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार माता ही नाबालिग बच्चो की वास्तविक वलिया है और वही उनके हको का संरक्षण कर सकती है। लिहाजा यह तनकी प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 से 6 के धारित हको के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को वादग्रस्त समग्र भूमि का बेचान किया है जो वादी संख्या 1 से 6 के हको की सीमा तक विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी हैं।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उण्डू, तहसील–शिव की खसरा नम्बर 996/524 व 1004/526 कुल रकबा 37.10 बीघा (6.0703 हैक्टेयर) भूमि में वादी संख्या 1 से 6 को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ सह खातेदार करार देते हुए 1/7–1/7 हिस्सा प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने वास्तविक हिस्से 1/7 से अधिक वादी संख्या 1 से 6 के 6/7 हिस्से के किये गये बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध वादी संख्या 1 से 6 के 6/7 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला–बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय : सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री भवानीसिंह (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 210/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01. श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी नवलाराम, कौम–जाट, निवासी–बाटाडू तहसील–बायतु 02. श्रीमती पारूदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी लाधाराम कौम–जाट, निवासी–शहर, तहसील–गिड़ा 03. श्रीमती मानीदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी राणाराम कौम–जाट, निवासी–पूनियो का तला तहसील–गिड़ा 04. श्रीमती लच्छुदेवी पुत्री रूपाराम पत्नी पुरखाराम कौम–जाट, निवासी–खारापार, तहसील–गिड़ा 05. अचली पुत्री रूपाराम 06. शिवलाल पुत्र रूपाराम 07. श्रीमती केसीदेवी पत्नी रूपाराम कौम–जाट निवासी–बागड़वो की ढाणी, तहसील–बायतु (वादी संख्या 5 व 6 नाबालिग की कुदरती वलिया माता वादिनी संख्या 7 श्रीमती केसीदेवी पत्नी रूपाराम)		1. रूपाराम पुत्र उदाराम 2. श्रीमती धापूदेवी पत्नी उदाराम कौम–जाट, निवासी–बागड़वो की ढाणी, तहसील–बायतु 3. श्रीमती मिरगोदेवी पुत्री उदाराम पत्नी धन्नाराम, कौम–जाट, निवसी–सुंतला, तहसील–गिड़ा 4. पवनकुमार पुत्र कानमल कौम जैन, निवासी–बायतु चिमनजी तहसील–बायतु 5. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग वकील वादीगण

2. श्री ईश्वरसिंह भाटी वकील प्रतिवादी संख्या 4

वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी की उपस्थिति में आज दिनांक 23.08.2024 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम उण्डू, तहसील–शिव की खसरा नम्बर 996/524 व 1004/526 कुल रकबा 37.10 बीघा (6.0703 हैक्टेयर) भूमि में वादी संख्या 1 से 6 को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ सह खातेदार करार देते हुए 1/7–1/7 हिस्सा प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने वास्तविक हिस्से 1/7 से अधिक वादी संख्या 1 से 6 के 6/7 हिस्से के किये गये बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध वादी संख्या 1 से 6 के 6/7 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 23.08.2024 को बमुकाम शिव मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner